



केंद्रीय विद्यालय संगठन / Kendriya Vidyalaya Sangathan  
18, संस्थानिक क्षेत्र / 18, Institutional Area  
शहीद जीत सिंह मार्ग / Shaheed Jeet Singh Marg  
नई दिल्ली-16 / New Delhi - 16  
Phone No. 011-26523070

F.No. 110239/19/2019/KVS(Budget) 127

Date: 22.08.2019

उपायुक्त  
केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
सभी क्षेत्रीय कार्यालय

विषय : इकलौती संतान पुत्री को विद्यालय विकास निधि एवं कंप्यूटर फीस में रियायत के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्या 125-48/2005-06/केवीएस(बजट) दिनांक 7.12.2005 का संदर्भ ले , जिसके द्वारा इकलौती संतान पुत्री को 6वीं कक्षा से शिक्षण शुल्क ,विद्यालय विकास निधि एवं कंप्यूटर फंड में रियायत के निर्णय को केवीएस में लागू करने के निर्देश दिये गये थे। इकलौती संतान पुत्री को विद्यालय विकास निधि एवं कंप्यूटर फंड से छूट अभिभावकों द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही दी जानी चाहिए। (नमूना संलग्न है )

आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीन सभी केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्यों को इकलौती संतान पुत्री को 6वीं कक्षा से शिक्षण शुल्क ,विद्यालय विकास निधि एवं कंप्यूटर फंड में छूट देने से पूर्व प्रत्येक वर्ष अभिभावकों से प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र लेना तथा रियायत केवल सत्यापित शपथ पत्र लेने के बाद ही देना सुनिश्चित करने का निर्देश जारी करे। ।

भवदीय

(डा ई प्रभाकर )

संयुक्त आयुक्त (प्रशि./वित्त.)

Scanned by CamScanner